संख्या– 93 /56–सू0प्रौ0अ0/2004

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
उत्तरांचल सचिवालय,
देहरादून।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

देहरादूनः दिनांकः 25 मार्च, 2004

विषयः– सूचना प्रौद्योगिकी प्रकियाओं का सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों तथा विभागों की प्रकियाओं एवं इण्टरकैनक्टीविटी व कम्प्यूटर सुविधा के अन्तर्गत ई–गर्वनेन्स की व्यवस्था के लिए अनुपूरक मॉग से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गढ़वाल, कुमायूँ एवं पंतनगर विश्वविद्यालयों के कैम्पसों में नेटवर्किंग सुविधा स्थापित करने, परिवहन, समाज कल्याण, अर्थ एवं संख्या, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा भू–अभिलेख एवं कलेक्ट्रेट की प्रकियाओं को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष–2003–04 में निम्नांकित तालिका के अनुसार विश्व विद्यालयों हेतु रू0 7.00 करोड मात्र (रूपये सात करोड़) संगत मद से तथा विभागों की प्रक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए साफ्टवेयर विकास हेतु कुल रू0 5.00 करोड़ मात्र (रूपये पॉच करोड़) में से रू0 2.00 करोड़ संगत मद से तथा रू0 3.00 करोड़ संलग्न बी0एम0–15 के स्तम्भ–5 में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग के द्वारा अर्थात कुंल धनराशि रू0 12.00 करोड़ (रूपये बारह करोड़) मात्र आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(धनराशि करोड़ रूपयों में)

क0 सं0	योजना का नाम	मानक मद/लेखा शीर्षक	संगत मद	पुर्नवि नियोग द्वारा बचतों से	कुलअवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	विश्व विद्यालयों में कैम्पस की नेटवर्किंग के लिए	4859–दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 02–इलेक्ट्रानिक्स–आयोजनागत 800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें। 03–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण–00– 25–लघु निर्माण कार्य	7.00	––	7.00
2	विभागो के विभागीय प्रकियाओं को सुदृढ़ीकरण हेतु कैनक्टीविटी एवं कम्प्यूटर सुविधा	800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें। 06–ई–गर्वनेन्स के अन्तर्गतसूचना प्रौद्योगिकी का विकास–00– 42–अन्य व्यय	2.00	3.00	5.00
		योग	9.00	3.00	12.00

2– उक्त स्वीकृति धनराशि को अग्रिम रूप से एक मुश्त आहरण कर बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रबन्ध निदेशक, हिल्ट्रान,उत्तरांचल, देहरादून को उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य करने हेतु कार्यदायी संस्था हिल्ट्रान होगी, जिसे सेन्टेज चार्जेज के रूप में कुल परियोजना धनराशि का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा।

3– यदि हिल्ट्रान का पी0एल0ए0खाता है तो इससे इसमें रखा जायेगा और यदि पी0एल0ए0 खाता नहीं है तो इसे अपने बैंक खाते में रखकर इस पर अर्जित व्याज वित्त विभाग के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार राजकोष जमा कर उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। योजना की विस्तृत विवरण एवं औचित्य शासन को प्रस्तुत करने के उपरान्त शासन की अनुमति से धनराशि का बैंक से आहरण किया जायेगा।

4– उक्त योजना में स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व योजना का विस्तृत विवरण/आंगणन शासन को दो माह के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। योजना पर शासन के अनुमोदनोपरान्त धनराशि व्यय की जायेगी।

5– स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व उक्त की लागत व अन्य तकनीकी बिन्दुओं पर एन0आई0सी0 की संस्तुति प्राप्त कर ली जायेगी और व्यय करते समय नियमानुसार टैण्डर/कुटेशन के नियमों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा। एन0आई0सी0 से प्राप्त सामग्री की बैन्च मार्किंग भुगतान से पूर्व पूर्ण कर ली जायेगी और इसके उपरान्त शासन की अनुमति से यथा आवश्यकतानुसार ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

6– स्वीकृत कार्यो पर होने वाला व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन से समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कढ़ाई से किया जायेगा।

7– यह सुनिश्चित किया जाये कि स्वीकृति धनराशि को किसी मद पर व्यय न किया जायेगा जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जाये जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है। यदि वित्तीय बर्ष के अन्त में कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित कर दी जायेगी।

9– योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तरांचल शासन, भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

10– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित निर्माण एजेन्सी हिल्ट्रान ही पूर्णरूप से उत्तरदायी होगी।

11– जिन योजनाओं में भारत सरकार से धनराशि की प्रतिपूर्ति होनी है उसे विभाग भारत सरकार से अविलम्ब सुनिश्चित करायेगा।

12– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–2004 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक–4859–दूरसंचार तथा इलैक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय–02–इलैक्ट्रानिक्स–आयोजनागत–800–अन्य व्यय प्रस्तर–1 की तालिका के मालम–3 में उल्लिखित मानक मद के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

13— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या— 3419/वि0 अनु0—3/ 2003 दिनांक 25 मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

संख्या: (1)/56—सू0प्रौ0अ0/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2— समस्त वरिष्ठ, कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
3— अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4— प्रमुख सचिव/ओ0एस0डी0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
5— प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/खाद्य एवं रसद/राजस्व/समाज कल्याण एवं नियोजन विभाग।
6— श्री एल0एम0पंत, अपर सचिव, वित्त बजट, उत्तरांचल शासन।
7— राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, देहरादून।
8— प्रबन्ध निदेशक, हिल्ड्रान, देहरादून।
9— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
10— वित्त अनुभाग—3, उत्तरांचल शासन।
11— गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

c:\negi\56-IT-2003-04